

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/2014-15/6416

दिनांक : 30/12/19

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
कलक्टर, राजस्थान।

विषय:- पंच एवं सरपंच हेतु लोकसूचना के प्ररूप के संबंध में।


संदर्भ:- आयोग का आदेश क्रमांक 6251 दिनांक 26.12.2019

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आयोग के संदर्भित आदेश के द्वारा प्रेषित किए गए पंच एवं सरपंच के निर्वाचन हेतु विहित किए गए लोक सूचना के प्ररूप में आंशिक संशोधन किया गया है। संशोधित प्ररूप पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। आगामी निर्वाचनों में पंच एवं सरपंच की लोकसूचना जारी करने हेतु उक्त संशोधित प्ररूप का उपयोग किया जाए।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(श्याम सिंह राजपुरोहित)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

एवं सचिव

निर्वाचन की लोक सूचना

पंच एवं सरपंच के लिए

(नियम 23 एवं 56)

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि :-

- (1) पंचायत समिति की पंचायत सर्किल के पंचों का निर्वाचन कराया जाना है,
एवं
पंचायत समिति की पंचायत सर्किल के सरपंच का निर्वाचन कराया जाना है
- (2) अतः निम्नांकित रूप से अवधारित समय अनुसूची के अनुसार अपने-अपने वार्डों से प्रत्येक से एक पंच का निर्वाचन और इसके साथ साथ पंचायत के सरपंच का निर्वाचन करने की अपेक्षा की जाती है,
- (3) नाम निर्देशन-पत्र रिटर्निंग अधिकारी को अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिशः दिनांक को बजे से बजे तक के मध्य पंचायत मुख्यालय (नाम) पर परिदत्त किए जा सकेंगे,
- (4) नाम निर्देशन-पत्र के प्ररूप पूर्वोक्त स्थान और समय पर अभिप्राप्त किए जा सकेंगे,
- (5) नाम निर्देशन-पत्र संवीक्षा के लिए दिनांक को (स्थान का नाम) पर बजे लिए जाएंगे
- (6) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिशः रिटर्निंग अधिकारी को दिनांक को (स्थान का नाम) बजे से पूर्व परिदत्त की जा सकेगी,
- (7) निर्वाचन लड़े जाने की दशा में दिनांक को बजे से बजे के मध्य पंचायत मुख्यालय / (यदि मतदान बूथ पंचायत मुख्यालय से भिन्न किसी ग्राम में स्थापित किया गया हो तो उसका नाम) पर निश्चित मतदान बूथों पर मतदान होगा।
- (8) पंचायत सर्किल के पंचों की सीटों एवं सरपंच के पद की आरक्षण की स्थिति संलग्न स्टेटमेंट में वर्णित है।

स्थान

तारीख

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)
(कलक्टर)